डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाबता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

हरलाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लोहसणा बड़ा तहसील वा जिला चूरू
–वादी–

<u>बनाम</u>

1. सुप्यारसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति दरोगा निवासी लोहसणा बड़ा तहसील वा जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.</u>
मुकदमा नं. 460 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री ऋषिराजसिंह शेखावत एडवोकेट वादीगण, मिनजानिब मुदईब श्री राकेश सहारण एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः–

दावा वादी अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. का पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि दोनों पक्ष कृषि भूमियां खेत ख.नं. 1424/1138, 1425/1138, 1426/1138 कुल तादादी 1.3784 है0 एवं खेत ख.नं. 1440/1235, 1441/1235, 1442/1235 कुल तादादी 2.9845 है0 रोही ग्राम लोहसना बड़ा के मध्य स्थित सीमा के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त सींव पर अवस्थित जाल आदि वृक्षों को जड़ से नहीं काटें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04 माह फरवरी सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू